

क्रि० भिस० केश नं०- 581 / 2017

14/12/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनपरात स्पष्ट हाता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवाधि एक वष दोत चुकी है। उभय पक्ष की आर से या संबंधित थाना प्रभारी से शाति भंग हान सवधा किरसा भी प्रकार की रूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

14/12/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

गाड्डा।

14/12/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

गाड्डा।